न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 46/2025 G.C.M.S. No. 2025/150 दर्ज दिनांक : 01.05.2025

अपीलार्थी:

1. केसाराम पुत्र स्व. बस्तीराम, उम्र 36 वर्ष, जाति माली, निवासी सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला पाली हाल निवासी रायपुर, तहसील रायपुर व जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. बस्तीराम पुत्र हेमाराम, जाति माली, निवासी धोलीवाड़ी, का बास, सोजत सिटी के का.मु.–
   - 1/1 कालीदेवी प्रथम पत्नि स्व. बस्तीराम, जाति माली, निवासी सोजत, हाल रायपुर व जिला ब्यावर।
   - 1/2 सोहनीदेवी द्वितीय पत्नि स्व. बस्तीराम
   - 1/3 अर्जुन पुत्र स्व. बस्तीराम, जातिगण माली, निवासीगण धोलीबाड़ी का बास, सोजत सिटी, तहसील सोजत व जिला पाली।
   - 1/4 नर्बदा पुत्री स्व. बस्तीराम पत्नि किशनाराम माली, निवासी चण्डावल, तहसील सोजत व जिला पाली।
2. तहसील महोदय, सोजत व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 1920/2015 बअनवान केसाराम बनाम बस्तीराम के का.मु. वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2025 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी, श्री इमरान खान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री वरूण गहलोत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 1920/2015 बअनवान केसाराम बनाम बस्तीराम के का.मु. वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि

सर्वथा विधिविरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय में मूल राजस्व वाद अपीलार्थी की शहादत में विचाराधीन रहते हुए बार–बार अपीलार्थी साक्ष्य हेतु उपस्थित रहा, परंतु शहादत रिकॉर्ड नहीं की गई एवं दिनांक 09.01.2025 को शहादत बंद की गई। तत्पश्चात दिनांक 13.02.2025 को रेस्पोंडेंट्स की शहादत बंद कर अपीलार्थी की साक्ष्य के अभाव में वाद खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.02.2025 के बाबत अलग से निर्णय व डिक्री पर्चा तैयार नहीं किया गया एवं अपीलार्थी की ओर से आदेश की नकल दिनांक 21.02.2025 को प्रस्तुत की, जो दिनांक 24.02.2025 को प्राप्त हुई। इसके पश्चात अपीलार्थी निर्णय व डिक्री पर्चा प्राप्त करने हेतु मौखिक रूप से न्यायालय में निवेदन करता रहा। परंतु दिनांक 09.04.2025 तक न्यायालय द्वारा डिक्री पर्चा तैयार किये जाने के कारण लिखित में प्रार्थना पत्र उक्त न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति अपील के साथ संलग्न है। साथ ही अपीलार्थी को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मूल वाद संख्या 1920/2015 में निर्णय व डिक्री पर्चा तैयार नहीं किया जाने एवं लिखित आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात भी उपलब्ध नहीं करवाने के कारण यह अपील रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। इसमें विलंब बाबत अपीलार्थी का का विधिक रूप से कोई दोष नहीं हैं। जिससे अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ किया जाकर यह अपील अंदर अवधि मानकर दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंटगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.02.2025 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 25.04.2025 को विलंब के साथ प्रस्तुत की।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलार्थी को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मूल वाद संख्या 1920/2015 में निर्णय व डिक्री पर्चा तैयार नहीं किया जाने एवं लिखित आवेदन प्रस्तुत

करने के पश्चात भी उपलब्ध नहीं करवाने के कारण यह अपील रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। इसमें विलंब बाबत अपीलार्थी का का विधिक रूप से कोई दोष नहीं हैं। जिससे अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ किया जाकर यह अपील अंदर अवधि मानकर दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा अपीलांट द्वारा जानबूझकर विलंब कारित किया जाना साबित नहीं हैं। प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना आज्ञापक है तथा उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल माफ करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र दिनांक 23.10.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दिनांक 02.02.2016 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 को जवाबदावा हेतु दीर्घकाल तक अवसर दिए जाने के उपरांत दिनांक 20.12.2021 को प्रतिवादी संख्या 2 का जवाबदावा बंद किया जाकर पत्रावली कायमी तनकीयात हेतु नियत की गई। जो दिनांक 25.10.2023 को कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। दिनांक 09.01.2025 को वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई तथा दिनांक 13.02.2025 को प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहने पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर वादपत्र साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में न केवल प्रतिवादी द्वारा लंबे समय तक जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी दो वर्ष तक तनकीयात कायम नहीं की गई एवं वादी द्वारा लगभग 1 वर्ष तक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई एवं प्रतिवादी द्वारा भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई हैं। अतः स्पष्ट है कि वादपत्र का निर्णयन गुणावगुण के आधार पर नहीं हुआ है। वादपत्र व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए सारवान आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया तथा वादग्रस्त आराजी वादी के दादा नेमा तथा उनकी मृत्यु पश्चात हस्तुड़ी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी के पिता के नाम दर्ज होने व इस आधार पर वादी का 1/2 हिस्सा उत्तराधिकार से निहित होने के आधार पर अनुतोष चाहा गया। हमारे विनम्र मत में वादपत्र का निर्णयन कठोर तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए तथा इसके लिए उभयपक्षकारान

को साक्ष्य व प्रतिरक्षा के लिए अवसर प्रदान करने में न्यायालय को पर्याप्त उदार रूख अपनाना चाहिए। अतः अपीलाधीन निर्णय काबिल अपास्त है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 1920/2015 बअनवान केसाराम बनाम बस्तीराम के का.मु. वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2025 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए वादपत्र विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री करें। वादी अपीलांट को पाबंद किया जाता है कि अधिकतम दो तारीख पेशी के भीतर गवाहों एवं दस्तावेजात की सूची व गवाहों के शपथ पत्र आवश्यक रूप से अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा रहने पर अधीनस्थ न्यायालय इस संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत में दिनांक 30.04.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली